

भाग-4

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन के विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संम्बन्धित वन संरक्षण की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये)	Recommended for approval
-----	---	--------------------------

दिनांक : 01.12.2017

स्थान : Lucknow



डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ